

तारीख
हुकम

29/11/21

आज यह पत्रावली केस कोर्ट/राजस्थ लोक अदालत में पेश हुई। पत्राकारान् में आयसी राज नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण अतः पत्रावली न्यायालय में ही दि. 01-02-2022 को पेश हो।

प्रशासन गांव के सभा अभियान 2021

उपखण्ड अधिकारी
श्री जिला अलवर

01/02/22

अभिभावक ने कार्य स्थगित किया हुआ है। दिनांक को 25/03/22 पेश हो।

रीडर

25/3/22

पत्रावली पेश हुई। वसुधाम उपस्थित। वसुधाम पुत्री गरी। पत्रावली वाले कोडेश डिग्रा 08/4/22 को पेश हो।

SPO

08/4/22

ए. [redacted] अधिकारी महोदय अन्य कार्यों में दि. [redacted] है। दिनांक को 18/5/22 पेश हो।

रीडर

18/5/22

अभिभावक मण्डल से कार्य स्थगित किया दिनांक 08/5/22 को पेश हो।

रीडर

08/07/22

आज यह पत्रावली वाले कोडेश पेश हुई। वसुधाम उपस्थित। वसुधाम पुत्री गरी। पत्रावली वाले कोडेश डिग्रा 08/4/22 को पेश हो। वसुधाम पुत्री गरी। पत्रावली वाले कोडेश डिग्रा 08/4/22 को पेश हो। वसुधाम पुत्री गरी। पत्रावली वाले कोडेश डिग्रा 08/4/22 को पेश हो।

फर्ट अहकाम

(नियम 26)

मुकाम

बनाम

न

सन

हुकम या कार्यवाही मय इन्वीशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुये

पर बॉटने को कर्षण है यात्रे के लिए
कर देगे वो सिकर पैदा होगा। साकि
T I नाफेसाल दावा स्वाई किया
जावे। इसके अलावा प्रतिवादी वकील
ने अवगत कराया कि विवाहल सुमै
में रोड पर है। सहावालेदार है और
खरीद के बाद काबिल है लेचने के
लिए स्वतंत्र है। पम्पी वाइली है। Already
काबिल है। वो अपभोग कर रहा है।

विज्ञान अधिकारवादी की वरम पर
जनन किया गया। यदि दोनों की
सहावालेदारी है और बराबर विमा है।
अनु. गणपत 212 RT Act
व्यापारिक में खारिज किया जा
है। पत्रावली फेसल सुमार लेकर
रजिस्टर में कम की जावे। मिला
कुलवादे हो।

SAO